



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र – इन्दौर

क्रमांक 8821 / 45 / 2023 / चयन

इन्दौर दिनांक 01 OCT 2024

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के अन्तर्गत विज्ञापित पद “व्याख्याता संहिता सिद्धांत” हेतु साक्षात्कार आयोजित किए जाने संबंधी सूचना ।

आयोग द्वारा विज्ञापन क्र. 25/2023 दिनांक 10.07.2023 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रों के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग के अंतर्गत व्याख्याता संहिता सिद्धांत के कुल 09 (UNR-02, SC-02, ST-04, OBC-01, EWS-00) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, उक्त पदों के ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 17.09.2023 निर्धारित थी एवं अभिलेख सहित आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 26.09.2023 तक निर्धारित थी। विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से नव्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से नव्य प्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1	व्याख्याता संहिता सिद्धांत	2	2	4	1	0	9	1	1	1	0	0	1	0	0	0
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता संहिता सिद्धांत (Lecturer Samhita Siddhant) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है-																
	मुख्य भाग 87 प्रतिशत	2	2	4	1	0	9	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	प्राथमिक भाग 13 प्रतिशत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2/ “व्याख्याता संहिता सिद्धांत” पद के साक्षात्कार आयोग कार्यालय में दिनांक **18.10.2024** को आयोजित किए जाना सुनिश्चित किए गए हैं ।

3/ उपरोक्त पद हेतु आयोग द्वारा योग्य आवेदकों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाईट www.mppsc.mp.gov.in से दिनांक **11.10.2024** से डाउनलोड कर सकते हैं ।

4/ साक्षात्कार हेतु आमंत्रित आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि साक्षात्कार दिवस को **प्रातः 10:00** बजे आयोग कार्यालय में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कराना सुनिश्चित करें । आवेदक साक्षात्कार पत्र में दर्शित शर्तों का गहनता से परीक्षण कर उसका पालन करना सुनिश्चित करें

अपर परीक्षा नियंत्रक
(चयन)